

**Parliamentary Affairs Department
NOTIFICATION**

Jaipur, October 22, 1981

G.S.R. 71.—In Exercise of the powers conferred by section 11 read with proviso to sub-section (4) of section 6A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, the *Rajasthan Legislative Assembly Officers (Concessions on account of Electricity and Water) rules, 1981, namely :—

1. Short title & commencement :— (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Officers (Concessions on account of Electricity and Water) Rules 1981

2. Applicability.—These rules shall apply to the Speaker and Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly and also to the Government Chief Whip, Deputy Government Chief Whip and the Leader of the Opposition, who are hereinafter referred to as the said Officers.

3. Concessions on account of electricity and water :—For purposes of sub-section (4) of section 6-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the said Officers shall be entitled to the concession of payment by Government for him and on his behalf throughout the term of his office and upto a period of two months from the date he ceases to hold such office, of all charges due from him on account of the consumption of electricity and water at his residence subject to the condition that concession of such payment shall not exceed the limit of 35,000[#] units of electricity and 50[#] lakhs litres of water per annum.

4. Repeal.—The Rajasthan Legislative Assembly Officers (Concessions on account of Electricity and Water) Rules, 1965 are hereby repealed.

[No. F. 7(8) Sansad/81]

By Order of the Governor,

* Notification No. F 7(3) Sansad/89 dated June 27, 2001

Notification F7(1) Sansad/2012 dated 14-6-12 w.e.f. April 1, 2012

संसदीय कार्य विभाग अधिसूचना

जयपुर, 22, अक्टूबर, 1981

जी. एस. आर. 71-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (4) के परन्तुक के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, *राजस्थान विधान सभा अधिकारी (बिजली, पानी विषयक रियायतें) नियम, 1981 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा अधिकारी (बिजली पानी विषयक रियायतें) (*संशोधन) नियम 1981 है।

2. लागू होना :-ये नियम राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर और सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक और विरोधी दल के नेता पर भी, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू होंगे।

3. बिजली और पानी विषयक रियायत :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिकारी अपने निवास स्थान पर बिजली और पानी के उपयोग विषयक अपने द्वारा देय समस्त प्रभारों के अपनी सम्पूर्ण पदावधि भार और ऐसे पद पर न रहने की तारीख से दो मास की कालावधि तक अपने लिए और अपनी ओर से सरकार द्वारा संदाय की रियायत के इस शर्त के अधीन रहते हुए हकदार होंगे कि ऐसे संदाय की रियायत प्रति वर्ष 35,000[#] यूनिट बिजली और 50[#] लाख लीटर पानी की सीमा से अधिक नहीं होगी।

4. निरसन :-राजस्थान विधान सभा अधिकारी वर्ग (विद्युत एवं जल सम्बन्धी रियायत) नियम, 1965 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

[संख्या एफ. 7(8) संसद/81]

राज्यपाल के आदेश से,

गोपाल कृष्ण शर्मा

शासन सचिव।

* अधिसूचना सं. प.7 (3) संसद/89 दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

अधिसूचना सं. प.7(1) संसद/2012 दिनांक 14-6-2012 दिनांक 1-4-2012 से लागू